

न्यायमूर्ति एन. सी. जैन और जे. एल. गुप्ता, के समक्ष

जतिंदर कुमार दहिया और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता।

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 1201

2अप्रैल, 1991

भारत का संविधान, 1950—कला 14 और 16—पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930—नियम 5 और 6—विशेष भर्ती—एच.सी.एस. में 21 पदों को भरना। विशेष भर्ती द्वारा - कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नियम 5 के परंतुक के तहत प्रक्रिया - मुख्य सचिव का एफ.सी. से अनुरोध। विभिन्न विभागों में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सेवारत अधिकारियों में से योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए - सी.एस. द्वारा उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग - एचपीएससी के परामर्श से अंतिम चयन - नियम 6 विशेष भर्ती के स्रोतों का नामकरण - भर्ती नियम 6 में उल्लिखित स्रोतों तक सीमित नहीं है - नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों का सहारा लेना उचित है - नियम 5 के परंतुक की व्याख्या - सामंजस्यपूर्ण और प्रतिबंधित निर्माण नहीं - राज्य - नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों तक सीमित नहीं - नियम 5 के प्रावधान को अनियंत्रित और बेलगाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता है राज्य पर शक्ति - पात्रता मानदंड में परिवर्तन बाहरी विचार पर आधारित नहीं - नए सिरे से विचार करने का दावा खारिज कर दिया गया, चयन बरकरार रखा गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आखिरकार, विधि "संचालन का तरीका" या "किसी वस्तु को प्राप्त करने का साधन" है। इसका उद्देश्य राज्य की सेवा करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन करना था। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य विभिन्न विभागों में काम करने वाले अधिकारियों//कर्मचारियों के दावों पर विचार कर रहा है। ऐसा करने में, इसने नियमों के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन नहीं

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

किया।हमारा विचार है कि नियम 5 और 6 केवल सेवा में भर्ती की विधि निर्धारित करना और जब विभिन्न प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है तो यह राज्य के लिए सक्षम है कि वह न केवल उस प्रक्रिया को निर्धारित करे जिसका चयन के लिए पालन किया जाना है, बल्कि उन स्रोतों को भी निर्धारित करे जिनसे चयन किया जाना है।यदि विधि का निर्धारण केवल प्रक्रिया के अर्थ तक ही सीमित है, तो राज्य को अनिवार्य रूप से विभिन्न अन्य सेवाओं के अधिकारियों के दावों पर विचार करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, जिनका अनुभव सेवा में जिम्मेदार पदों को संभालने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।यदि राज्य की शक्तियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह राज्य के तहत वरिष्ठ पदों को संभालने के लिए उपयुक्त अधिकारियों के मूल्यवान प्रशासनिक और विशेष अनुभव का उपयोग करने में अपरिहार्य बाधा पैदा करेगा।(पैरा 14)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि विभिन्न प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से हमारे मन में कोई संदेह नहीं रहता है कि नियम 5 का परंतु राज्य को न केवल प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए बल्कि उन स्रोतों को भी निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है जिनसे विशेष भर्ती की जा सकती है।(पैरा 15)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930 के अवलोकन से पता चलता है कि नियम 6 में कुछ स्रोत निर्दिष्ट किए गए हैं।यदि विशेष भर्ती केवल इन स्रोतों तक ही सीमित रहती है, तो विभिन्न अन्य सेवाओं में काम करने वाले व्यक्ति पूरी तरह से अयोग्य हो जाएंगे।जबकि विभिन्न सेवाओं में विभिन्न अधिकारियों के तहत काम करने वाले मंत्री प्रतिष्ठान के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, अधिकारी स्वयं अयोग्य होंगे।क्या यह उचित होगा ? क्या यह ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगा ? हम ऐसी किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता या औचित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसने वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर करने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकरण को दूर से भी प्रेरित किया हो, जबकि उनके अधीनस्थों को

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

पसंद के क्षेत्र में शामिल किया गया था। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचार की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो राज्य की सेवा में वरिष्ठ व्यक्तियों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचारित व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो राज्य की सेवा में वरिष्ठ व्यक्तियों को पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा; एच.सी.एस. में भर्ती के मामले में अवसर की समानता राज्य को सेवा में पदों के लिए सर्वोत्तम कार्मिक रखने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। कार्मिकों को अवसर की समानता से वंचित किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित गारंटी का उल्लंघन होगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी नियम की ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप संविधान के प्रावधानों के साथ टकराव हो सकता है। यदि नियम 5 के परंतुक को प्रतिबंधित अर्थ दिया जाता है, तो बड़ी संख्या में अधिकारियों के अधिकारों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और राज्य को उनकी सेवा के उपयोग से वंचित कर दिया जाएगा। नियम 2 को लागू करने वाले प्राधिकारी का ऐसा इरादा नहीं हो सकता। इस प्रकार, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों का सहारा लेने में सक्षम था। हमें प्रावधान की सीमित व्याख्याओं के पक्ष में झुकाव करने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं। (पैरा 16)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही दो व्याख्याएं संभव हों, लेकिन अधिकारियों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव नहीं है। चूंकि राज्य द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित है, इसलिए रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने और राज्य की कार्रवाई को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। (पैरा 17)

अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 5 के परंतुक को नियम 6 के तहत विचार किए गए सेवाओं के स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों को शामिल करने के लिए वैध रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है। इसलिए, राज्य विभिन्न विभागों में काम करने वाले अधिकारियों पर विचार करने के लिए सक्षम था और इसकी पसंद नियम 6 में निर्दिष्ट

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

स्रोतों तक ही सीमित नहीं थी।(पैरा 19 एवं 20)

अभिनिर्धारित किया गया, कि नियम 5 के परंतुक से पता चलता है कि विशेष भर्ती की विधि का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब राज्य सरकार यह राय बनाती है कि सेवा की अनिवार्यताओं की आवश्यकता है। अनिवार्यता का अर्थ है "आवश्यकता; अनिवार्यता; आपातकाल; घटनाओं के वर्तमान से अचानक उत्पन्न होने वाली कोई चीज; कोई भी घटना या परिस्थितियों का सामयिक संयोजन, जिसके लिए तत्काल अचानक और अप्रत्याशित घटना या एक अप्रत्याशित घटना या स्थिति, कार्रवाई या उपचार की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह भी माना गया है कि "ऐसी परिस्थितियों से अचानक उत्पन्न होने वाली कोई चीज जो तत्काल कार्रवाई या उपचार की मांग करती है या जहां तुरंत कुछ सहायक करने की आवश्यकता होती है, फिर भी आपात्कालीन स्थिति के रूप में इतना दबाव नहीं होता है।" "(ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, चौथा संस्करण)। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अपनी इच्छा और मनमर्जी से विशेष भर्ती के तरीके का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा केवल तभी कर सकती है जब किसी विशेष समय पर उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियां इसकी मांग करें।

(पैरा 22)

अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार में विभिन्न स्तरों पर और आयोग के परामर्श से पूरे मामले पर विस्तृत विचार किया गया था। एक ऐसी प्रणाली जो इन सभी जाँचों को सुनिश्चित करती है, अर्थात्, आवश्यकताओं के बारे में एक राय बनाना और लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श, हमारी राय में, शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी राय है कि नियम में जांच शामिल है जो शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ एक गारंटी है। यह प्रावधान सरकार को पूरी तरह से दिशाहीन और बेलगाम शक्ति के साथ नहीं छोड़ सकता है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि परंतुक में निहित प्रावधान दिशाहीन नहीं है और सरकार के

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

पास कोई बेलगाम शक्ति नहीं है।(पैरा 24)

अभिनिर्धारित किया कि एक बार याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार हो जाने के बाद, उनके पास पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए कोई वैध दावा नहीं हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग को अनुशंसित व्यक्ति 'बहुत अच्छे' रिकॉर्ड की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इसलिए सरकार को फिर से समय लेने वाली प्रक्रिया से गुजरने का निर्देश देने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, जब पात्रता के मानदंड में बदलाव किया गया है तो विचार/स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 25 एवं 27)

संपादकीय नोट:

खण्ड पीठ ने याचिकाओं के एक समूह में उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्नों का निर्णय लेने के बाद, इस प्रकार, उन व्यक्तिगत मामलों को अलग से निपटाया, जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, निर्णय के अंत में अंतिम व्यक्तिगत मामले में, न्यायालय ने टिप्पणियां की हैं जो पुनः प्रस्तुत की गई हैं:-

अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों के दावे पर विचार किया जाना है, न्यायालय वैज्ञानिक सटीकता या गणितीय सटीकता पर जोर नहीं दे सकता है। हम यह भी नहीं भूल सकते कि न्यायिक समीक्षा केवल 'न्यायिक' होनी चाहिए। हालाँकि, हमने रिकॉर्ड को काफी विस्तार से देखा है, हम डी. ए. सोलुंके बनाम डॉ. बी. एस. महाजन, ए. आई. आर. 1990, एस. सी. मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी को नहीं भूल सकते। 434 कि "चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या पेटेंट सामग्री की अनियमितता या चयन को दूषित करने वाली इसकी प्रक्रिया"। इन मानकों के आधार पर, हम प्रतिवादी की कार्रवाई में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। (पैरा 98)

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि कि:-

- (i) मामले के अभिलेखों के लिए कहा जा सकता है:
- (ii) उनके द्वारा दिए गए अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को भरना:
- (iii) विशेष भर्ती के लिए याचिका के साथ क्रमशः 28 नवंबर, 1990 के प्रतिवादी-सरकार के निर्णय (अनुलग्नक पी-2 और पी-3 के रूप में संलग्न) को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट जारी की जाए। 21 पदों से संबंधित एचसीएस (पूर्व ब्र.) कैडर, अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना:
- (iv) प्रतिवादी सरकार और प्रतिवादी आयोग को इन 21 पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़ने से रोकने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।
- (v) याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए इस मामले की विशेष परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले निर्देशों का कोई अन्य रिट आदेश जारी करना:
- (vi) इस याचिका की लागत भी उन्होंने याचिकाकर्ताओं को दी:

-

इसके अलावा, यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सरकार और आयोग को न्याय के हित में एचसीएस (पूर्व ब्र.) कैडर के 21 पदों के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन करने से रोका जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल रथ के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एस. हुड्डा।

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

एस. सी. महंता, ए. जी., बी. एस. पवार, सीनियर डी. ए. जी. और आई. पी. सूद, ए.ए.जी., हरियाणा के साथ, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए ए. एस. तेवतिया, अधिवक्ता

न्याय

न्यायाधीश जवाहर लाल गुप्ता,

(1) हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) राज्य में एक प्रमुख सेवा है। यह हर किसी का लक्ष्य है। वर्ष 1990 में, हरियाणा सरकार ने विशेष भर्ती द्वारा सेवा में 21 पदों को भरने का निर्णय लिया। दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जो लोग प्रारंभिक दौर में बाहर हो गए थे या हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विचार के अंतिम चरण तक पहुंचने में असमर्थ थे, उन्होंने 1990, 664, 894, 999 की 13 रिट याचिका संख्या 10948 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। , 1011, 1129, 1200, 1201, 1221, 1246, 1269, 1560 और 1991 की 1610, जिन्हें सुनवाई के लिए मंडल पीठ के समक्ष रखा गया था। उठाए गए मुद्दे आंशिक रूप से कानूनी और आंशिक रूप से तथ्यात्मक हैं।

(2) घटनाओं के क्रम का संदर्भ देना आवश्यक है। वर्ष 1990 में, यह महसूस किया गया कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (संक्षेप में 'सेवा') में कई पद खाली पड़े थे। विभिन्न गैर-एच.सी.एस. एच.सी.एस. के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी। अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर व्यवस्था की जा रही थी। कुछ पद अन्यथा भी खाली पड़े थे। एच. सी. एस. अधिकारियों की संख्या सेवानिवृत्ति और

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

आई. ए. एस. संवर्ग में कुछ अधिकारियों की पदोन्नति से और कम होने की संभावना थी। वर्ष 1985 और 1989 की कुछ रिक्तियों को भी अदालती मामलों विचाराधीनता होने या परीक्षा स्थगित होने आदि के कारण नहीं भरा गया था। परिणामस्वरूप यह प्रस्ताव किया गया कि सेवा में 21 पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'आयोग') के दायरे से बाहर कर दिया जाए और पंजाब सिविल सेवा (निष्पादन शाखा) नियम, 1930 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 5 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित विशेष भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद इस संबंध में एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक मंजूरी दिए जाने के बाद, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने 17 जुलाई, 1990 के अपने पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार के सभी वित्तीय आयुक्तों और सचिवों को एक परिपत्र जारी किया। इस पत्र के साथ संलग्न सूची से पता चलता है कि परिपत्र राज्य के सभी विभागों और जिला और सत्र न्यायाधीशों को भेजा गया था। इस पत्र में यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों में से सेवा में विशेष भर्ती करने पर विचार कर रही है, सिवाय उन लोगों के जिनके पास पदोन्नति का माध्यम था। इंजीनियर, डॉक्टर, पशु चिकित्सा सर्जन, पुलिस अधिकारी आदि जैसी तकनीकी सेवाओं से संबंधित लोग। इसलिए, यह इच्छा थी कि पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले पत्र के संलग्नक 1 में इंगित सीमा तक द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के नाम की सिफारिश 31 जुलाई, 1990 तक सरकार को की जा सकती है। पात्रता की निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थीं जिन्हें 1 जनवरी, 1990 को पूरा किया जाना था:—

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

- (i) कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए।
- (ii) आयु 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) हरियाणा में नियमित क्षमता में कम से कम पांच साल की निरंतर सरकारी सेवा प्रदान की होनी चाहिए।
- (iv) पिछले 5 वर्षों (यानी 1985-86 से 1989-90 तक) के दौरान "बहुत अच्छी" श्रेणी या उससे बेहतर का समग्र रिकॉर्ड होना चाहिए।

यह आदेश 25 जनवरी 1991 के पत्र के माध्यम से विभिन्न प्राधिकारियों को सूचित किया गया था। इस पत्र में उल्लिखित प्रोफार्मा में संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी, इसके बाद 13 नवंबर, 1990 का एक और पत्र भेजा गया था, जो प्रमुख द्वारा भेजा गया था। जिसे मुख्य सचिव द्वारा विभिन्न वित्तीय आयुक्तों, हरियाणा सरकार के सचिवों और सभी विभागों के प्रमुखों को भेजा गया था। पसंद के क्षेत्र का विस्तार किया गया था। इसने बताया कि मामले पर पुनर्विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि जिला राजस्व अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खंड विकास और पंचायत अधिकारी और तृतीय श्रेणी की सेवाओं के सदस्य, जिनके पास एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए नियमित माध्यम था। विभिन्न विभागों में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के अलावा भी विचार किया जा सकता है। यह भी इच्छा की गई थी कि पत्र के अनुलग्नक में उल्लिखित सीमा तक उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, जिन्होंने उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा किया था, 4 दिसंबर, 1990 तक सरकार को भेजे जा सकते हैं। पात्रता की शर्तें इस प्रकार थीं:-

- (i) कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

चाहिए।

- (ii) आयु 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:
- (iii) हरियाणा में नियमित क्षमता में कम से कम 5 साल की निरंतर सरकारी सेवा प्रदान की जानी चाहिए।
- (iv) पिछले 5 वर्षों (अर्थात् 1985-86 से 1989-90 तक) के दौरान 'बहुत अच्छी' श्रेणी या उससे बेहतर श्रेणी का रिकॉर्ड होना चाहिए।

यह भी बताया गया कि ऐसे कर्मचारी जो प्रथम श्रेणी के पदों पर कार्यरत थे, लेकिन द्वितीय श्रेणी के पदों पर ग्रहणाधिकार रखते थे, वे द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की श्रेणी में पात्र होंगे। इसके बाद 20 दिसंबर, 1990 का एक और पत्र आया। इस पत्र में यह देखा गया कि सेवा की अनिवार्यताओं के लिए आवश्यक है कि 1930 के नियमों के नियम 5 के परंतुक के प्रावधानों के अनुसार सेवा में विशेष भर्ती की जानी चाहिए। सरकार ने तदनुसार आदेश दिया था कि वर्ष 1990 की 21 रिक्तियों को भरने के लिए सेवा में विशेष भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से और इसके बाद निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी:—

- (i) विभिन्न विभागों में द्वितीय श्रेणी के अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खंड विकास और पंचायत अधिकारी और तृतीय श्रेणी सेवाओं के सदस्य जिनके पास एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए नियमित माध्यम है।, विशेष भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। प्रत्येक विभाग द्वारा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों/नायब-तहसीलदारों में से अनुशंसित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। तृतीय श्रेणी की सेवाओं के सदस्यों के बीच से आमंत्रित की जाने वाली

सिफारिशों की संख्या के संबंध में मानदंड एच.सी.एस (कार्यकारी शाखा) में नियमित भर्ती के लिए निर्धारित होंगे। पी.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) 1930 के नियम 8 के प्रावधानों के तहत।

(ii) 1 जनवरी 1990 से उम्मीदवारों के लिए पात्रता शर्तें यह होंगी कि उम्मीदवार:

(ए) कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए;

(बी) 45 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए;

(सी) हरियाणा में नियमित क्षमता में कम से कम 5 साल की निरंतर सरकारी सेवा प्रदान की होनी चाहिए; और

(डी) पिछले 5 वर्षों (अर्थात् 1985-86 से 1989-90 तक) के दौरान 'बहुत अच्छी' श्रेणी का रिकॉर्ड या उससे बेहतर होना चाहिए।

विभिन्न विभागों से प्राप्त सभी योग्य उम्मीदवारों की सिफारिशों को एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता सूची तैयार करने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा और ऐसे व्यक्ति चयनित को एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) में नियुक्त किया जाएगा।

(3) शर्त (ii) (डी) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 14 जनवरी 1991 को मुख्यमंत्री द्वारा पारित एक आदेश द्वारा संशोधित किया गया था (जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा हमारे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से स्पष्ट है) रेडर के रूप में प्रदान करने के लिए : -

पिछले पांच वर्षों (1985-86 से 1989-90 तक) के दौरान 'बहुत

अच्छी' श्रेणी का समग्र रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कम से कम 'बहुत अच्छी' या बेहतर रिपोर्ट और 'अच्छी' श्रेणी से कम दंगों की 2 रिपोर्टें होनी चाहिए।”

(4) इन परिपत्र पत्रों के जवाब में, विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों की हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जांच की गई। उपयुक्त माने जाने वाले व्यक्तियों के नाम आयोग को अंतिम रूप से भेजे गए थे। सरकार के अभिलेखों से, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा हमें यह बताया गया है कि कुल 75 अधिकारियों के नाम मुख्य सचिव द्वारा आयोग को भेजे गए थे। कुछ व्यक्ति जो मुख्य सचिव के स्तर पर जांच की बाधा को पार करने में विफल रहे थे और आयोग के स्तर तक पहुंचने में असमर्थ रहे थे, उन्होंने वर्तमान रिट याचिकाओं द्वारा से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन याचिकाओं को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की पहली श्रेणी उन व्यक्तियों की है जो उन सेवाओं से संबंधित हैं जिनसे विभिन्न रजिस्ट्रों द्वारा नियमित भर्ती की जाती है। इन श्रेणियों में जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तृतीय श्रेणी सेवाओं के सदस्य और खंड विकास के सदस्य और पंचायत अधिकारी शामिल हैं। उपरोक्त संवर्गों के सदस्यों द्वारा सिविल रिट याचिकाएँ संख्या 10948 - 1990 की, 894,1246 और 1269 - 1991 की दायर की गई हैं। याचिका का दूसरा सेट, सिविल रिट याचिका संख्या 664, 999, 1011, 1129, 1200, 1201, 1221, 1560 और 1610 - 1991 की अन्य सेवाओं के सदस्यों द्वारा दायर की गई हैं। जैसे कि (सेवाओं से) कृषि राज्य के विभाग, रोजगार, शिक्षा और नगरपालिका सेवाएँ।

(5) दलीलों को शुरू में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामलों के पहले सेट में संबोधित किया गया था। श्री आर. के. मलिक

और श्री एच. एस. हुड्डा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया कि नियम 5 के परंतुक के तहत सेवा में विशेष भर्ती केवल उन स्रोतों तक ही सीमित होनी चाहिए जो नियम 6 में निर्दिष्ट किए गए थे। जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तृतीय श्रेणी के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान के सदस्य और ब्लॉक और विकास और पंचायत अधिकारी, और यह कि नियम अधिकारियों को अन्य सेवाओं के सदस्यों के दावों पर विचार करने की अनुमति नहीं देते थे। यह उनका मामला था कि विशेष भर्ती के लिए अन्य सेवाओं के सदस्यों पर विचार करने में प्रतिवादी राज्य की कार्रवाई नियमों के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत थी और इस प्रकार कानूनी रूप से असमर्थनीय थी। वैकल्पिक रूप में, यह प्रस्तुत किया गया कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से विशेष भर्ती की जा सकती है, तो नियम 5 के परंतुक में निहित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की नाराजगी को आकर्षित करेंगे क्योंकि उन सेवाओं के बारे में नियम में ही कोई मार्गदर्शक रेखा आदि निर्धारित नहीं की गई थी जिनसे विशेष भर्ती की जा सकती थी। इस प्रकार यह कहा गया कि अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण प्रावधान दूषित हो जाएगा। याचिकाओं के दोनों सेटों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तों को यह तर्क देने के लिए भी उठाया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 20 दिसंबर, 1990 के पत्र में निर्धारित मानदंडों को 25 जनवरी, 1991 के पत्र में शामिल किए गए बाद के निर्णय द्वारा संशोधित किया गया था, डी-नोवो की जांच की प्रक्रिया को पूरा करना प्रतिवादी पर अनिवार्य था। यह भी सुझाव दिया गया कि मानदंडों में परिवर्तन कुछ पसंदीदा लोगों को योग्य बनाने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से किया गया था और इस प्रकार यह दुर्भावनापूर्ण था। चूंकि परिवर्तन बाहरी विचारों द्वारा

प्रेरित किया गया था, इसलिए जाँच की पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा अनुशंसित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विभाग में कर्मियों की संख्या को ध्यान में रखे बिना तय की गई थी।

(6) उपरोक्त उल्लिखित तर्कों के अलावा, याचिकाओं में संबंधित मामलों के विशिष्ट तथ्यों पर भी दलीलें दी गईं। याचिकाओं पर व्यक्तिगत रूप से विचार करते समय व्यक्तिगत मामलों से संबंधित विवादों का संदर्भ दिया जाएगा।

(7) ऊपर उल्लिखित सामान्य प्रस्तुतियों पर पहले विचार करना उचित हो सकता है।

(8) अनिवार्य रूप से, प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए नियमों के प्रावधानों का संदर्भ आवश्यक है। संबंधित प्रावधान नियम 5,6,7,8,12,17 और 20 में निहित हैं। ये नियम इस प्रकार हैं:-

(i) नियम 5 :- स्वीकृत उम्मीदवारों में से हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य-सेवा के सदस्यों की नियुक्ति समय-समय पर हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। समय-समय पर स्वीकृत उम्मीदवारों में से जिनके नाम इन नियमों के अनुसार इन नियमों के तहत स्वीकृत उम्मीदवारों के एक या अन्य रजिस्टर बनाए रखे जाने चाहिए। बशर्ते कि यदि राज्य सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं की आवश्यकता हो, तो राज्य सरकार लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट तरीकों से सेवा में विशेष भर्ती कर सकती है।

(ii) नियम 6 :- रखरखाव के लिए रजिस्टर-स्वीकृत उम्मीदवारों के निम्नलिखित रजिस्ट्रों का रखरखाव मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:-

(ए) उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए जिला राजस्व अधिकारियों-तहसीलदारों और नायब-तहसीलदारों का ए-आई पंजीकृत करें;

(बी) उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार की गई तृतीय श्रेणी की सेवाओं के सदस्यों का रजिस्टर ए-द्वितीय पंजीकरण करना;

(सी) प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों का रजिस्टर बी; और

(डी) ब्लॉक विभाग और पंचायत अधिकारियों का रजिस्टर

सी।

(iii) नियम 7:- रजिस्टर ए-आई के लिए उम्मीदवारों का चयन।

वित्तीय राजस्व आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख तक, जिला राजस्व

(1) अधिकारियों/तहसीलदारों/नायब-तहसीलदारों की एक सूची तैयार करेगा और उसे एक समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और दो अन्य अधिकारी सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित किया जा सकता है ।

(ए) (i) पांच साल की निरंतर सरकारी सेवा पूरी नहीं की है।

(ii) पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; उस तारीख

को या उससे पहले जिस दिन नामों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(बी) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं है।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित समिति ऐसे सभी नामों पर विचार करेगी और एक सूची तैयार करेगी, जो रजिस्टर ए-आई में दर्ज किए जाने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले व्यक्तियों की रिक्तियों की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। यह सूची हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी, ताकि योग्यता के आधार पर और रिक्तियों की संख्या के बराबर, सूची में दर्ज किए गए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को रजिस्टर ए-1 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के रूप में चुना जा सके और उसके बाद नामों की सिफारिश करने के लिए भेजी जाएगी। इस तरह से चुने गए व्यक्तियों के नाम रजिस्टर ए-1 में दर्ज किए जाएंगे।

(iv) नियम 8 :- रजिस्टर ए-11 के लिए अभ्यर्थियों का चयन.

(1) नीचे दी गई तालिका के पहले कॉलम में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक, इन नियमों से जुड़े फॉर्म 1 में राज्य सरकार को उन व्यक्तियों की संख्या के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तालिका के दूसरे कॉलम में प्रत्येक मामले में उन व्यक्तियों में से निर्दिष्ट किया गया है जो उसके कार्यालय में या उसके अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय श्रेणी सेवाओं के सदस्य हैं:

Jatinder Kumar Dahiya and others v. The State of Haryana and others (J. L. Gupta, J.)

तालिका

अनुशंसित करने वाला प्राधिकारी	अनुशंसित करने वालों की संख्या
1	2
1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	3
2. वित्तीय आयुक्त, राजस्व हरियाणा	2
3. हरियाणा में शेष सभी विभागाध्यक्ष	1 (प्रत्येक)

बशर्ते कि मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त अधिकारियों में से किसी द्वारा पहले से प्रस्तुत कोई भी नामांकन वैध रूप से की गई अनुशंसा मानी जाएगी।

(2) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो-

(ए) (i) पांच साल की निरंतर सरकारी सेवा पूरी नहीं की है; और

(ii) उस तारीख को या उससे पहले पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जब तक राज्य सरकार ने सिफारिशें मांगी हों।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सिफारिश करने वाले अधिकारियों से प्राप्त सभी सिफारिशें, योग्यता के क्रम में और रिक्तियों की संख्या के बराबर, सबसे अधिक विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी जाएंगी। रजिस्टर ए-द्वितीय में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के रूप में चुने जाने के लिए सबसे उपयुक्त और उसके बाद इस प्रकार चयनित व्यक्तियों का नाम रजिस्टर ए-द्वितीय में दर्ज किया जाएगा।

(v) नियम 12 :- रजिस्टर सी के लिए उम्मीदवारों का चयन। विकास और पंचायत विभाग में सरकार का सचिव, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख तक, खंड

विकास और पंचायत अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे एक समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और दो अन्य अधिकारी सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नामित कर सकती है; बशर्ते कि जब तक राज्य सरकार अन्य प्रकार से निर्देश न दे, तब तक किसी व्यक्ति का नाम उपनियम (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो -

(क)(i) पांच साल की निरंतर सरकारी सेवा पूरी नहीं की है;

(ii) उस तारीख को या उससे पहले पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है जिस दिन नामों को समिति को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है; और

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं है।

उप-नियम (i) में उल्लिखित समिति ऐसे सभी नामों पर विचार करेगी और रजिस्टर सी में दर्ज करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले व्यक्तियों की रिक्तियों की दोगुनी संख्या के बराबर एक सूची तैयार करेगी। यह सूची राज्य लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी, योग्यता के क्रम में और रिक्तियों की संख्या के बराबर, सूची में दर्ज सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को रजिस्टर सी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के रूप में चयनित करने की सिफारिश करेगा, और उसके बाद इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नाम रजिस्टर सी सूची में दर्ज किए जाएंगे।

(vi) नियम 17 :- सेवा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की नियुक्ति-हरियाणा के राज्यपाल आमतौर पर नियम 5 के अनुसरण में सेवा में उन उम्मीदवारों के बीच नियुक्तियां करेंगे जिनके नाम विभिन्न रजिस्ट्रों में निम्नानुसार दर्ज किए गए हैं।

(vii) नियम 20 :- सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता (1) - सेवा में

रजिस्टर बी से	दो उम्मीदवार
रजिस्टर ए-1 से रजिस्टर बी से	एक उम्मीदवार
रजिस्टर ए-11 से रजिस्टर बी से	दो उम्मीदवार
रजिस्टर ए-1 से रजिस्टर बी से	एक उम्मीदवार
रजिस्टर ए-11 से रजिस्टर सी से	तीन उम्मीदवार
रजिस्टर बी से रजिस्टर ए-1 से	एक उम्मीदवार
रजिस्टर बी से रजिस्टर ए-11 से	दो उम्मीदवार
रजिस्टर बी से रजिस्टर ए-1 से	एक उम्मीदवार
रजिस्टर बी से रजिस्टर सी से	एक उम्मीदवार
और उसके बाद उसी	तीन उम्मीदवार
रजिस्टर बी में।	एक उम्मीदवार
	दो उम्मीदवार
	एक उम्मीदवार
	दो उम्मीदवार
	एक उम्मीदवार
	दो उम्मीदवार
	एक उम्मीदवार
	तीन उम्मीदवार
	एक उम्मीदवार
	से रोटेशन फिर से शुरू हो रहा है

नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठता नियम 17 में निर्धारित आवर्तन

के अनुसार निर्धारित की जाएगी, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि नियुक्तियाँ करते समय वास्तव में इस आवर्तन का पालन किया जाता है या नहीं :

बशर्ते कि विभिन्न रजिस्ट्रों से नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में चयन समिति या लोक सेवा आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में गड़बड़ी नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि एक पूर्व-आपातकालीन कमीशन अधिकारी, एक पूर्व-अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारी, या सेवा में नियुक्त एक पूर्व सैनिक के मामले में, सैन्य सेवा के कारण वरिष्ठता का लाभ पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायतें) नियम, 1963 प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है।

बशर्ते कि आगे:-

(ए) यदि किसी उम्मीदवार का नाम स्वीकृत उम्मीदवारों के रजिस्टर या विशेष भर्तियों की सूची से हटा दिया जाता है या उसकी नियुक्ति का आदेश नियम 19 के प्रावधानों के तहत रद्द कर दिया जाता है, और ऐसे उम्मीदवार को बाद में सेवा में नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी।

(बी) नियम 5 के परंतुक के तहत विशेष भर्ती के माध्यम से सेवा में नियुक्त सदस्यों के मामले में, वरिष्ठता राज्य सरकार द्वारा चयन समिति या लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के क्रम में निर्धारित की जाएगी, और उन्हें उसी वर्ष के संबंध में रिक्तियों के विरुद्ध नियमित रजिस्ट्रों के माध्यम से नियुक्त सदस्यों के नीचे रखा जाएगा जिसमें विशेष भर्ती की जाती है। विभिन्न स्रोतों से विशेष भर्ती द्वारा से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता उन पदों के वेतनमान के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित ब्लॉकों में तय की जाएगी, जिसमें प्रत्येक स्रोत से कम से कम एक व्यक्ति शामिल किया जाएगा, लेकिन यदि किसी स्रोत से नियुक्त व्यक्तियों की संख्या चार या अधिक है, तो

उस स्रोत से दो व्यक्तियों को ब्लॉक में शामिल किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो दूसरे और उपखंड को दोहराया जाएगा ताकि विभिन्न स्रोतों से सभी उपलब्ध व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। यदि दो या दो से अधिक पदों के वेतनमान जिनसे भर्ती की जाती है_उसी तरह ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता ऐसे पदों पर उनकी सेवा की अवधि से निर्धारित की जाएगी और यदि उनकी सेवा की अवधि भी समान है तो बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से वरिष्ठ होगा।

(2) यदि ऐसे कोई मामले हैं जो ऊपर बताए गए सिद्धांतों द्वारा उजागर किए जाते हैं तो उनका निर्णय सरकार द्वारा न्यायसंगत और न्यायसंगत आधारों पर किया जाएगा।

(9) पहला सवाल यह उठता है कि क्या नियम 5 के परंतुक के तहत परिकल्पित विशेष भर्ती नियम 6 में उल्लिखित स्रोतों तक ही सीमित है या नहीं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. मलिक और श्री एच.एस. हुडा ने तर्क दिया है कि परंतुक के तहत राज्य सरकार "ऐसे तरीकों से जैसा कि अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है" विशेष भर्ती करने में सक्षम है। ऐसी विशेष भर्ती के स्रोत केवल वही हो सकते हैं जो नियम 6 में निर्दिष्ट हैं। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हुए विद्वान महाधिवक्ता श्री सुशील मोहंता का तर्क यह है कि नियमों के तहत यह सक्षमता के अंतर्गत था। राज्य को न केवल विशेष भर्ती करने की प्रक्रिया निर्धारित करनी है बल्कि उन स्रोतों का भी निर्धारण करना है जिनसे भर्ती की जा सकती है। उनके अनुसार, विभिन्न नियमों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि विशेष भर्ती न केवल नियम 6 में निर्धारित पद्धति का पालन करके की जा सकती है, बल्कि नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों का भी सहारा लिया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि नियम 5 के परंतुक को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया गया था और नियम 0 में उल्लिखित सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं को बाहर

रखा गया था, तो राज्य की कार्रवाई अनुच्छेद 16 के आधार पर चुनौती को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी जो नायब-तहसीलदारों आदि से भी अधिक रैंक के हो सकते हैं, उन्हें अवसर की समानता से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नियम 5 के प्रावधान की शुरुआत के बाद से, राज्य ने नियम की व्याख्या उसी तरह की है, जैसे पंक्ति में की गई थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी पेश किए गए कि वर्ष 1970 में प्रावधान लागू करने के समय भी सरकार का इरादा विभिन्न अन्य सेवाओं के सदस्यों को सेवा में विशेष भर्ती के लिए विचार के लिए पात्र बनाना था।

- (10) परंतुक की शुरुआत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करना उपयोगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले पर सरकार ने शुरू में वर्ष 1970 में विचार किया था। यह उल्लेख किया गया था कि 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा राज्य के गठन से पहले पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में, विशेष नियम 5 में अस्थायी रूप से एक प्रावधान लागू करके भर्ती की गई थी। यह भी बताया गया कि आई. ए. एस. (भर्ती) नियम में भी, निम्नलिखित प्रभाव का एक प्रावधान मौजूद था:—

“उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि केंद्र सरकार की राय में राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद की आवश्यकताएं और ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार, आयोग, उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा सेवा में भर्ती के ऐसे तरीके अपना सकता है जो वह इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित कर सकता है।

- (11) इसके बाद, इस बात पर भी विचार किया गया कि विशेष भर्ती द्वारा कितनी रिक्तियों को भरा जाए और किन स्रोतों से भर्ती की जाए। यह इंगित किया गया था कि यदि अन्य सेवाओं के सदस्यों को विशेष भर्ती के लिए पात्र बनाया जाता है तो यह उपयुक्त होगा। यह भी विचार

किया गया कि विशेष भर्ती के लिए उपयुक्त माने जाने वाले विभिन्न स्रोतों को एक विशिष्ट कोटा की अनुमति दी जाए या नहीं। गहन विचार-विमर्श के बाद, परंतुक को उसके वर्तमान रूप में पेश करना उचित समझा गया और इसे वर्ष 1971 में विधिवत अधिसूचित किया गया। तब से, राज्य सरकार ने कई अवसरों पर विशेष भर्ती की है। उत्तरदाताओं की ओर से संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार (राजनीतिक एवं सेवा विभाग) द्वारा सी.डब्ल्यू.एफ. में दायर लिखित बयान में। 1991 की संख्या 894 (राजेश्वर दयाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), यह दिखाने के लिए विवरण प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1971 के बाद से नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से विशेष भर्ती की गई थी। चित्रण के माध्यम से उल्लेखनीय है कि वर्ष 1971 में ही विशेष भर्ती पद्धति का पालन करते हुए 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। इन चार में से दो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कैडर से थे और अन्य दो उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारियों और सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारियों के कैडर से थे। इसी प्रकार, वर्ष 1973 में आठ में से चार व्यक्तियों को नियम 6 में उल्लिखित स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से नियुक्त किया गया था। ये सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार के संवर्ग से थे। कोषाधिकारी एवं जिला उद्योग अधिकारी। वर्ष 1973 में विशेष भर्ती के माध्यम से नियुक्त सभी व्यक्ति नियम 6 में उल्लिखित स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से थे, वर्ष 1976 में भी यही स्थिति थी।

(12) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का परीक्षण करने से राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं के सदस्यों पर विचार करने का इरादा स्पष्ट रूप से सामने आया है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो नियम 6 के तहत अपेक्षित सेवाओं से संबंधित नहीं हैं। यह प्रावधान आई.ए.एस. (भर्ती) नियम 1954 में प्रावधान की तर्ज पर पेश किया गया था। जिसके तहत राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं के सदस्य विचार किए जाने के पात्र थे। व्यवहार में इस इरादे को विधिवत क्रियान्वित किया गया है। सभी अवसरों पर जब विशेष भर्ती की जाती थी, तो राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं के

सदस्यों पर विचार किया जाता था। विचार कभी भी नियम 6 के तहत विचार किए गए स्रोतों तक सीमित नहीं था ।

(13) क्या राज्य ने नियम का उल्लंघन कर कार्य किया? हमें लगता है ऐसा नहीं हुआ. आखिरकार, विधि "संचालन का तरीका" या "किसी वस्तु को प्राप्त करने का साधन" है। इसका उद्देश्य राज्य की सेवा करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन करना था। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के दावों पर विचार कर रहा है। ऐसा करने में, इसने नियमों के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया। हमारा विचार है कि नियम 5 और 6 केवल सेवा में भर्ती की पद्धति बताते हैं और जब विभिन्न प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाता है तो यह राज्य के लिए न केवल उस प्रक्रिया को निर्धारित करने में सक्षम है जिसका चयन के लिए पालन किया जाना है, बल्कि उन स्रोतों को भी निर्धारित करे जिनसे चयन किया जाना है। यदि विधि का निर्धारण केवल प्रक्रिया तक ही सीमित है, तो राज्य को अनिवार्य रूप से विभिन्न अन्य सेवाओं के अधिकारियों के दावों पर विचार करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, जिनका अनुभव सेवा में जिम्मेदार पदों पर काम करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यदि राज्य की शक्ति पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह राज्य के तहत वरिष्ठ पदों पर काम करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों के मूल्यवान प्रशासनिक और विशेष अनुभव का उपयोग करने में अपरिहार्य बाधा उत्पन्न करेगा।

(14) नियम 5 का परंतुक राज्य को "अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए गए तरीकों" द्वारा विशेष भर्ती करने के लिए अधिकृत करता है। नियम 20 (बी) में, "विभिन्न स्रोतों" से भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता के निर्धारण की विधि निर्धारित की गई है। ये स्रोत उपखंड (क) (अर्थात् नियम 6 में उल्लिखित) में उल्लिखित स्रोतों से भिन्न होने चाहिए। जिनकी वरिष्ठता नियम 17 में निर्धारित सूची के अनुसार निर्धारित की जानी है।

विभिन्न प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से हमारे मन में कोई

संदेह नहीं रहता है कि नियम 5 का परंतुक राज्य को न केवल प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए बल्कि उन स्रोतों को भी निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है जिनसे विशेष भर्ती की जा सकती है।

(15) इस मामले का एक और पहलू भी है। नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ स्रोत नियम 0 में निर्दिष्ट हैं। यदि विशेष भर्ती केवल इन स्रोतों तक ही सीमित होती, तो विभिन्न अन्य सेवाओं में काम करने वाले व्यक्ति पूरी तरह से अयोग्य हो जाते। जबकि विभिन्न सेवाओं में विभिन्न अधिकारियों के तहत काम करने वाले मंत्री प्रतिष्ठान के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, अधिकारी स्वयं स्वतंत्र होंगे। क्या यह उचित होगा ? क्या इससे ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा? हम ऐसी किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता या औचित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसने वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर करने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकरण को दूर से भी प्रेरित किया हो, जबकि उनके अधीनस्थों को पसंद के क्षेत्र में शामिल किया गया था। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचार की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो राज्य की सेवा में वरिष्ठ व्यक्तियों को एच. सी. एस. में भर्ती के मामले में अवसर की समानता से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य को सेवा में पदों को संभालने के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्मियों के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। कर्मियों को अवसर की समानता से वंचित किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित गारंटी का उल्लंघन करेगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी नियम की ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप संविधान के प्रावधानों के साथ टकराव हो सकता है। यदि नियम 5 के परंतुक को सीमित अर्थ दिया जाता है जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता चाहते हैं, तो बड़ी संख्या में अधिकारियों के अधिकार गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित होंगे, और राज्य को उनकी सेवा के उपयोग से वंचित कर दिया जाएगा। नियम 2 अधिनियमित करने वाले प्राधिकरण का इरादा ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार, हम

इसमें कोई संदेह नहीं रखते कि राज्य नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों का सहारा लेने के लिए सक्षम था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए प्रावधान की सीमित व्याख्या के पक्ष में झुकने में हमारी असमर्थता पर हमें खेद है।

(16) शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राज्य द्वारा उस पर रखी गई संवैधानिक व्याख्या भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है। हमारे सामने प्रस्तुत आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी का हमेशा यह इरादा था कि विभिन्न सेवाओं के सदस्य 'विशेष भर्ती' के लिए पात्र होंगे। वर्ष 1971 में इसकी शुरुआत के बाद से, राज्य ने उन स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों का सहारा लिया है जिन्हें मूल रूप से नियमों में शामिल किया गया था। तथ्यात्मक स्थिति का विस्तृत संदर्भ जो पहले ही ऊपर दिया जा चुका है, यह दर्शाता है कि अधिकारियों ने नियम का अर्थ यह समझ लिया है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र थे। भले ही दो व्याख्याएँ संभव हों, अधिकारियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण असंभव नहीं है। चूंकि राज्य द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित है, इसलिए रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने और राज्य की कार्रवाई को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है।

(17) यह भी सुझाव दिया गया कि परंतुक सदैव अपवाद होता है। इसका उपयोग मूल प्रावधान के दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में विभिन्न अदालतों के फैसलों का हवाला दिया गया। दूसरी ओर, वाणिज्यिक कर राजस्व बोर्ड के आयुक्त बनाम राम किशन, सिरी किशन झावेर (1) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के आदेश पर भरोसा करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि परंतुक अपने आप में एक ठोस प्रावधान शामिल है।

(18) प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के लिए उस संदर्भ पर विचार

करना उपयोगी है जिसमें वर्तमान मामले में प्रावधान अधिनियमित किया गया है। नियम 5 में प्रावधान है कि राज्यपाल उन स्वीकृत उम्मीदवारों में से सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करेगा जिनके नाम विभिन्न रजिस्ट्रों में विधिवत दर्ज किए गए हैं। भले ही प्रावधान को अपवाद के रूप में पढ़ा जाए, इसका मतलब यह होगा कि सामान्य नियम से विचलन है। राज्यपाल न केवल स्वीकृत उम्मीदवारों में से बल्कि विशेष भर्ती के माध्यम से भी नियुक्तियाँ करने के हकदार होंगे। इस तरह की विशेष भर्ती को बिना कुछ और बताए, उन श्रेणियों तक सीमित नहीं किया जा सकता है जहां से स्वीकृत उम्मीदवारों को रजिस्टर में लाया जाता है। घटनाओं के सामान्य क्रम में यह नियम 5 के तहत विचार किए गए स्रोतों के अलावा स्रोतों से होगा। इसके अलावा जैसा कि वाणिज्यिक कर राजस्व बोर्ड के आयुक्त बनाम रामकिशन, सिरी किशन झावेर, ए.आई.आर. मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा *अभिनिर्धारित* किया गया था। 1968, एस.सी. 59, प्रावधान में स्वयं एक ठोस प्रावधान शामिल हो सकता है। यदि ऐसा देखा जाए, तो वर्तमान मामले में प्रावधान को नियम 6 के तहत विचार किए गए स्रोतों के अलावा अन्य सेवाओं के स्रोतों को शामिल करने के लिए वैध रूप से माना जा सकता है।

(19) इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्य विभिन्न विभागों में काम करने वाले अधिकारियों पर विचार करने में सक्षम था और उसकी पसंद नियम 6 में निर्दिष्ट स्रोतों तक सीमित नहीं थी।

(20) इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि नियम 5 का परंतुक राज्य सरकार को पूरी तरह से दिशाहीन और बेलगाम शक्तियां देता है। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार स्रोत चुनने और चयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार, यह प्रावधान पूरी तरह से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता इंगित करते हैं कि प्रावधान में अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं। राज्य सरकार केवल तभी विशेष

भर्ती का सहारा लेने के लिए सक्षम है, जब सेवा की 'अत्यावश्यकताओं*' की आवश्यकता हो। अपनी इच्छा और मनमर्जी पर इस विधि का सहारा लेना स्वतंत्र नहीं है। वह आगे बताते हैं कि निर्णय बंदी सेवा आयोग के परामर्श से लिया जाना चाहिए। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार ये पर्याप्त सुरक्षा-उपायों का गठन करते हैं और यह तर्क देना उचित नहीं है कि शक्ति पूरी तरह से दिशाहीन या अनियंत्रित है। वे यह भी बताते हैं कि वर्तमान मामले में, तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सेवा में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से सामान्य स्रोतों से खाली रहने के कारण, विशेष भर्ती करना आवश्यक माना गया था ताकि पदों की सहायता अनिश्चित न रहे। उनका यह भी तर्क था कि मंत्रिमंडल द्वारा विचार करने के अलावा, इस मामले पर आयोग के परामर्श से विचार किया गया था, जो एक संवैधानिक निकाय है। उन्होंने यह भी बताया कि अतीत में भी इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया था।

(21) प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि विशेष भर्ती का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब राज्य सरकार यह राय बनाए कि सेवा की अत्यावश्यकताओं के लिए इसकी आवश्यकता है। अनिवार्यता का अर्थ है 'आवश्यकता; अनिवार्यता; आपातकाल; घटनाओं के प्रवाह से अचानक उत्पन्न होने वाली कोई चीज़; कोई भी घटना या कभी-कभार परिस्थितियों का सामयिक संयोजन, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई या उपचार की आवश्यकता होती है, जो एक तात्कालिक आवश्यकता है; अचानक और अप्रत्याशित घटना या अप्रत्याशित घटना या स्थिति;"। इसका अर्थ यह भी माना गया है कि "ऐसी परिस्थिति से अचानक उत्पन्न होने वाली कोई चीज़ जिसके लिए तत्काल कार्रवाई या उपचार की आवश्यकता होती है या जहां तुरंत कुछ सहायक करने की आवश्यकता होती है, फिर भी यह आपातकाल के रूप में इतना दबाव नहीं होता है।" (ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, चौथा संस्करण)। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अपनी इच्छा और मनमर्जी से विशेष भर्ती की पद्धति का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ऐसा केवल तभी कर सकती है जब किसी विशेष समय पर उत्पन्न होने वाली

विशिष्ट परिस्थितियाँ इसकी मांग करें। वर्तमान मामले में, मई, 1990 में मामला मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया। मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए ज्ञापन में यह कहा गया:-

स्मारक

प्रभारी मंत्री

मुख्यमंत्री, हरियाणा।

प्रशासनिक सचिव

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ।

विषय: एच.सी.एस. में विशेष भर्ती (कार्यकारी शाखा) वर्ष 1990 के लिए द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से एचसीएस (कार्यकारी शाखा) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर करना।

एचसीएस (पूर्व ब्र.) की मौजूदा अधिकृत संवर्ग संख्या 200 है, जिसके मुकाबले केवल 155 अधिकारी ही कार्यरत हैं और इस प्रकार, 45 अधिकारियों का अंतर है। राज्य में एचसीएस (एक्स. ब्र.) अधिकारियों की कमी के कारण, एचसीएस (एक्स. ब्र.) पदों पर गैर-एचसीएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। कुछ मामलों में रिक्त पदों पर दूसरे अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपकर काम चलाने की व्यवस्था की गयी है। फिर भी, एचसीएस (पूर्व ब्र.) अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण कई पद खाली पड़े हैं। नव निर्मित जिला/उपमंडलों और अन्य सरकारी विभागों के लिए एचसीएस (पूर्व ब्र.) में कुछ पद सृजित किए गए हैं। वर्ष के दौरान अधिकारियों की सेवानिवृत्ति और एचसीएस (एक्स. ब्र.) अधिकारियों की आर्इएएस में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, एचसीएस (एक्स. ब्र.) अधिकारियों की कमी और बढ़ जाएगी और संवर्ग में रिक्त पद कम हो जाएंगे। 1990 के अंत तक 31 की सीमा (वर्ष 1985 और 1989 के लिए 25 रिक्तियों को भरने के लिए लंबित भर्ती को छोड़कर)।

वर्ष 1985 और 1989 के लिए 25 रिक्तियों को भरने के लिए एचसीएस (पूर्व ब्र.) में नियमित भर्ती विभिन्न कारणों जैसे - न्यायालय के स्थगन आदेश, प्रतियोगी परीक्षा को स्थगित करना आदि के कारण अब तक नहीं हो पाई है। चूंकि वर्ष 1985 और 1989 के लिए नियमित भर्ती में काफी समय लगने की संभावना है और साथ ही एचसीएस (पूर्व ब्र.)

संवर्ग की उपर्युक्त अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन माना जाता है कि एच. सी. एस. (पूर्व ब्र.) के नियम 5 के परंतुक को भरने के लिए विशेष भर्ती की जाए। एचसीएस (पूर्व ब्र.) नियम, 1930 के नियम 5 के प्रावधान के तहत वर्ष 1990 के लिए एचसीएस (पूर्व ब्र.) संवर्ग में 21 रिक्तियां लेकर इन पदों को लेकर एचसीएस (पूर्व ब्र.) नियम, 1930 एक बार के उपाय के रूप में हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर। हालाँकि, इसका 1989 और उसके बाद के वर्षों की नियमित भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने पहले ही चरणबद्ध तरीके से अधिकारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है और तदनुसार 1989 के लिए 20 रिक्तियां, और 1990 और 1991 के लिए 14-14 रिक्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती सहित नियमित भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

तदनुसार, हरियाणा लोक सेवा आयोग से एचसीएस (पूर्व ब्र.) के लिए प्रस्तावित विशेष भर्ती करने के लिए अपनी सहमति देने का अनुरोध किया गया है।

इस बीच, मामले को अनुमोदन के लिए हरियाणा सरकार के व्यवसाय के नियमों, 1977 के नियम 5 और 11 में संदर्भित अनुसूची के क्रम संख्या 2 पर मद में निहित प्रावधानों के अनुसार इस मामले को एचसीएस (पूर्व) के 21 पदों को लेने की मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया है। एक विशेष मामले के रूप में एचसीएस (पूर्व ब्र.) के 21 पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर करना।

इस मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

(एस. डी./-)

दिनांकित, चंडीगढ़

(कुलवंत सिंह)

14 मई, 1990। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव।

(22) उपरोक्त ज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता

चलता है कि राज्य सरकार को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ वह सामान्य पद्धति से सेवा में भर्ती को अंतिम रूप देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकी। कई पद खाली पड़े थे। विशेष भर्ती करने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक समझा गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने विशेष भर्ती करने को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद ही 17 जुलाई 1990 का पत्र सिफारिशें आमंत्रित करने के लिए विभिन्न विभागों को भेजा गया। साथ ही राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के बीच विस्तृत पत्राचार हुआ। आयोग ने राय व्यक्त की कि विशेष भर्ती केवल राज्य सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसमें आयोग को भी शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार, सरकार द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया गया और 28 नवंबर, 1990 को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने के लिए एक ज्ञापन तैयार किया गया। इस ज्ञापन में, अन्य बातों के अलावा, यह निम्नानुसार देखा गया: -

“2. हरियाणा लोक सेवा आयोग से एच.सी.एस. में विशेष भर्ती करने के लिए अपनी सहमति देने का अनुरोध किया गया था। पी.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) के नियम 5 के प्रावधान के तहत। (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930, जो निम्नानुसार प्रदान करता है: -

“यदि राज्य सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं की आवश्यकता है तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट तरीकों से सेवा में विशेष भर्ती करें। आयोग राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पद्धति के अनुसार विशेष भर्ती करने के पक्ष में नहीं था लेकिन उसका विचार था कि आयोग को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।”

(23) इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने विचार किया और इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा आवश्यक मंजूरी दिए जाने के बाद, इस मामले पर लोक सेवा आयोग द्वारा विचार किया गया, जिसके बाद 20 दिसंबर, 1990 का पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही, राज्य सरकार को विभिन्न विभागों से सिफारिशें प्राप्त हुईं, जिन्हें मुख्य सचिव द्वारा

जांचा गया और अंततः 8 जनवरी, 1991 के पत्र के माध्यम से 75 व्यक्तियों की सूची उनके रिकॉर्ड के साथ लोक सेवा आयोग को आवश्यक चयन करने के लिए भेजी गई। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार में विभिन्न स्तरों पर और आयोग के परामर्श से पूरे मामले पर विस्तृत विचार किया गया था। एक ऐसी प्रणाली जो इन सभी जाँचों को सुनिश्चित करती है, अर्थात् लोक सेवा आयोग के साथ अत्यावश्यकताओं और परामर्श के संबंध में एक राय बनाना, हमारी राय में, शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी राय है कि नियम में जांच शामिल हैं जो सत्ता के मनमाने प्रयोग के खिलाफ एक गारंटी हैं। इस प्रावधान को सरकार को पूरी तरह से दिशाहीन और बेलगाम शक्ति के साथ नहीं छोड़ सकता है। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए आधिकारिक अभिलेखों के अवलोकन से यह दृष्टिकोण और मजबूत किया गया है। अभिलेख विभिन्न स्तरों पर मामले की गहन जांच का खुलासा करते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि परंतुक में निहित प्रावधान निर्देशित नहीं है और सरकार के पास कोई बेलगाम शक्ति नहीं है। इसमें राज्य सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग पर पर्याप्त गालियाँ शामिल हैं। यह राज्य को उतना ही स्वतंत्र बनाता है जितना कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

(24) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि पात्रता के मानदंड में बदलाव किए जाने के कारण विचार/ जांच की प्रक्रिया नए सिरे से आयोजित की जानी थी। यह आरोप लगाया गया था कि मानदंड मूल रूप से 20 दिसंबर, 1990 के पत्र द्वारा निर्धारित किया गया था और जनवरी, 1991 में बदल दिया गया था। चूंकि पिछले पांच वर्षों के लिए 'बहुत अच्छी' रिपोर्ट की आवश्यकता को 'बहुत अच्छी' और 'अच्छी' रिपोर्ट में बदल दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, अधिक व्यक्ति पात्र बन गए होंगे और उनके मामले विचार किए जाने योग्य होंगे।

(25) अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि मूल रूप से राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि अधिकारी के पास पिछले पांच वर्षों यानी 1985-86 से 1989-90 तक का समग्र रिकॉर्ड 'बहुत अच्छी' श्रेणी या उससे भी बेहतर होना चाहिए। दिसंबर, 1990 में जारी पत्र में "समग्र" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। विद्वान महाधिवक्ता बताते हैं कि सरकार की मंशा मूल रूप से यह थी कि जिस व्यक्ति का पिछले 5 वर्षों का समग्र रिकॉर्ड 'बहुत अच्छा' था, उसे पात्र माना जाए। ऐसा न हो कि इसका यह अर्थ लगाया जाए कि जिस व्यक्ति ने एक 'अच्छी' रिपोर्ट अर्जित की थी, उसे इस तथ्य के बावजूद बाहर कर दिया जाएगा कि शेष चार रिपोर्ट 'उत्कृष्ट' थीं, जनवरी, 1991 में मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। उसके बाद 14 जनवरी, 1991 को मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में 25 जनवरी, 1991 का पत्र जारी किया गया। उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का रिकॉर्ड 'बहुत अच्छा' है, उन का चयन किया गया है। विद्वान महाधिवक्ता का यह भी तर्क है कि सभी याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार किया गया था और परिणामस्वरूप उन्हें कोई शिकायत नहीं हो सकती थी जिसे वर्तमान कार्यवाही का सहारा लेकर निवारण किया जा सके।

(26) इस मामले पर अपना पूरा ध्यान देने के बाद हम पाते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं के दावों पर विधिवत विचार किया गया था। सरकार की ओर से हमारे सामने पेश किए गए अभिलेख इस तथ्य को स्पष्ट रूप से पुष्ट करते हैं। एक बार उनके दावों पर विचार करने के बाद, उनके पास पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए कोई वैध दावा नहीं हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग को अनुशंसित व्यक्ति 'बहुत अच्छे' रिकॉर्ड की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इसलिए सरकार को फिर से समय लेने वाली कवायद से गुजरने का निर्देश देने का कोई मामला नहीं बनता है।

(27) इस मामले का एक और पहलू है, मान लीजिए कि किसी ने एक 'अच्छी' रिपोर्ट और चार 'उत्कृष्ट' रिपोर्ट अर्जित की हैं, तो हमारे विचार में, उसे विचार के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता है। विद्वान महाधिवक्ता का यह सुझाव सही प्रतीत होता है कि 25 जनवरी, 1991 को जारी पत्र केवल ऐसे व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में संदेह को दूर करने के लिए की गई थी।

(28) हम समान रूप से इस विचार में हैं कि इस तरह के बाल विभाजन और बारीकियों को केवल सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह अज्ञात नहीं है कि कुछ अधिकारी अपने अधीनस्थों की श्रेणीबद्ध करते समय सख्त होने के लिए जाने जाते हैं। यह तथ्य भी सर्वविदित है कि कुछ अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करते समय उदारता बरतते हैं। सरकार ऐसी सभी स्थितियों से अवगत है। इसके विपरीत, न्यायालय सटीक स्थिति जानने की स्थिति में नहीं है। भले ही सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करने का फैसला किया हो और कहा हो कि दो 'अच्छी' रिपोर्ट और तीन 'बहुत अच्छी' रिपोर्ट वाला अधिकारी भी पात्र होगा, अदालत यह नहीं मान सकती कि चयन की पूरी प्रक्रिया नए सिरे *देखा जाना* चाहिए। खासकर तब जब इसके समक्ष मौजूद याचिकाकर्ताओं पर विधिवत विचार किया गया हो। 75 व्यक्तियों के संबंध में अंतिम अनुशंसा किए जाने से पहले बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर विचार किया गया है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली है। हमें सरकार को पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करने का आदेश देने का कोई औचित्य नहीं दिखता।

(29) हम समान रूप से इस विचार में हैं कि इस तरह के बाल विभाजन और बारीकियों को केवल सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह अज्ञात नहीं है कि कुछ अधिकारी अपने अधीनस्थों की श्रेणीबद्ध करते समय सख्त होने के लिए जाने जाते हैं। यह तथ्य भी सर्वविदित है कि कुछ अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करते समय उदारता बरतते हैं। सरकार ऐसी सभी स्थितियों से अवगत है। इसके विपरीत, न्यायालय सटीक स्थिति जानने की स्थिति में नहीं है। भले ही सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करने का फैसला किया हो और कहा हो कि दो 'अच्छी' रिपोर्ट और तीन 'बहुत अच्छी' रिपोर्ट वाला अधिकारी भी पात्र होगा, अदालत यह नहीं मान सकती कि चयन की पूरी प्रक्रिया नए सिरे *देखा जाना* चाहिए। खासकर तब जब इसके समक्ष मौजूद याचिकाकर्ताओं पर विधिवत विचार किया गया हो। 75 व्यक्तियों के संबंध में अंतिम अनुशंसा किए जाने से पहले बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर विचार किया गया है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली है। हमें सरकार को पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करने का आदेश देने का कोई औचित्य नहीं दिखता।

(30) यह सुझाव भी उतना ही अस्थिर है कि मानदंड में परिवर्तन बाहरी विचारों से प्रेरित था। सबसे पहले, इस विवाद के समर्थन में कोई विशेष उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं लाया गया। दूसरे, अभिलेख के अवलोकन से हम संतुष्ट हैं कि कार्रवाई किसी बाहरी विचार से प्रेरित नहीं की गई थी और जिन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की गई है वे मूल रूप से बनाए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। अप्रासंगिक विचार का प्रश्न केवल तभी उठ सकता है जब यह साबित हो जाए कि कुछ व्यक्ति जो मूल मानदंडों को पूरा नहीं करते थे उनकी सिफारिश की गई थी। ऐसा कोई मामला उजागर नहीं हुआ। हमारा यह भी मानना है कि मानदंडों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप, हम अनावश्यक विचार के किसी भी सुझाव को अस्वीकार करते हैं।

(31) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि सिफारिशें मांगते समय, विभिन्न विभागों को बिना किसी निश्चित मानदंड के अलग-अलग संख्या में

अधिकारियों/अधिकारियों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। तर्क यह है कि जहां कुछ विभागों को केवल एक नाम की सिफारिश करने के लिए कहा गया था, वहीं अन्य को एक से अधिक नामों की सिफारिश करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह मनमाने ढंग से किया गया था। हमारे समक्ष याचिका में, विशिष्ट कथनों की कोई सटीक तारीख नहीं दी गई थी। तर्कों के दौरान अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं जो किसी भी तथ्यात्मक डेटा द्वारा समर्थित नहीं थे। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि बोज़ भेदभाव के आरोप को साबित करने का दारोमदार उस व्यक्ति पर है जिसने यह आरोप लगाया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता इस बोज़ का निर्वहन करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के पास भौतिक विवरण का अभाव है। बहस के स्तर पर भी कोई ठोस बात सामने नहीं आई।

(32) विद्वान महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विचारों पर यह संख्या तय की है। सबसे पहले, विभाग/सेवाओं की संख्या जहां से नामांकन मांगा गया था और दूसरे, प्रत्येक विभाग द्वारा अनुशंसित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तय करते समय उस विशेष स्रोत से उपयुक्त व्यक्तियों के पाए जाने की संभावना प्रमुख विचार हैं। हमारे विचार से ये विचार न तो अप्रासंगिक थे और न ही मनमाने। इसलिए हम याचिकाकर्ताओं की ओर से इस सुझाव को खारिज करते हैं कि संख्या मनमाने ढंग से तय की गई थी।

(33) कानून के प्रश्नों पर व्यापक प्रस्तुतियाँ निपटाई जा चुकी हैं और अब व्यक्तिगत मामलों से निपटने के लिए निर्धारित की गई हैं।

आर.एन.आर.

State of Punjab v. Prem Chand (A. I. Bahri, J.)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा